सत्र परीक्षण सं0–317 व 319 सन 2012

UPJB010014502012

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।</u>

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0– 317/2012

सरकार बनाम 01. ऋषिपाल पुत्र स्व 0 मुखराम सिंह **(पत्रावली पृथक)**
निवासी मौ0 सुभाषनगर , कस्बा व थाना धनौरा ,
जिला अमरोहा ।

02. महेश पुत्र ओमप्रकाश ,
निवासी ग्राम झुण्डपुरा , थाना धनौरा मण्डी , जिला अमरोहा ।

मुकदमा अपराध सं0–99/2012
धारा– 398 व 401 भा0 दं0 सं0
थाना–धनौरा मण्डी , जिला अमरोहा

एवं

UPJB010014522012

सत्र परीक्षण सं0– 319/2012

सरकार बनाम महेश पुत्र ओमप्रकाश ,
निवासी ग्राम झुण्डपुरा , थाना धनौरा मण्डी , जिला अमरोहा ।

मुकदमा अपराध सं0–101/2012
धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना–धनौरा मण्डी , जिला अमरोहा

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.21 16:43:07 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण सं0–317 व 319 सन 2012

<u>निर्णय</u>

उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है। सत्र परीक्षण संख्या–317/2012 राज्य बनाम ऋषिपाल आदि की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया और इसी वाद में अभियोजन तथा बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

<u>मामले के तथ्य–</u>

सत्र विचारणीय मुकदमा सं0 317 व 319 सन 2012 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक **23.08.2012** के उपरान्त सत्र न्यायालय में उपरोक्त क्रमांको पर दर्ज होने के उपरान्त संस्थित हुए , जो आज विचारण के पश्चात निर्णय के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.03.2012 को उ0नि0 रमेश चन्द मय कां0 638 एसासुल हसन जैदी मय कां0 116 फूल सिंह के वहवाले रपट नं0 40 समय 18.10 बजे पर थाने से रवाना होकर वास्ते गस्त व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी कस्बा धनौरा में मामूर थे कि जब हम लोग गस्त करते हुए हरदेव बाजार से कंजरो वाली चुंगी पर पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि कंचन बाजार कब्रिस्तान में कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं और उन पर नाजायज अस्लाह है, जल्दी की जाये तो मय अस्लाहों के पकड़े जा सकते है, इस सूचना पर यकीन करके जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने व साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। हम पुलिसवालों ने आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजयज वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर कंजरो वाली चुंगी से सुभाष नगर की तरफ को जाने वाले रास्ते पर दाहिनी ओर बनी नाई की दुकान की दीवार की आड़ से मुखबिर ने इशारा करके बताया कि दुकान के पीछे कब्रिस्तान में जो व्यक्ति बैंठे हैं, यहीं बदमाश है। हम पुलिसवालों ने दुकान की दीवार की आड़ से देखा व सुना तो इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि समय काफी हो गया है, अब उस्ताद नहीं आयेंगे और रोड़ चलना भी बंद हो जायेगी, लूट के लिए हम दोनों ही काफी है। हम पर अस्लाहें भी है। हम पुलिसवालों को पूरा यकीन हो गया कि यहां बदमाश लूट करने के इरादे से इक्ट्ठा हैं। हम पुलिस वालों ने एकदम दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 20.45 बजे रात्रि नाई की दुकान के पीछे कब्रिस्तान में करीब पांच कदम की दूरी पर दोनों व्यक्तियो को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम **ऋषिपाल** पुत्र स्व. मुखराम सिंह , निवासी मौहल्ला सुभाष नगर, थाना मण्डी धनौरा, जिला जे.पी.नगर बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैंट से घुरसा हुआ एक अदद तमंचा देसी 12 बोर, चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहनी पैंट की आगे वाली दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस व रंग लाल

एक नम्बरजिसकी पैंदी पर POWER EXPREXX12 लिखा है, जिन्दा बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम **महेश** पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम झुनपुर थाना धनौरा जिला जे.पी.नगर बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैंट से एक तमंचा देसी 12 बोर नाजायज चालू हालत में बरामद हुआ तथा पैंट की दाहिनी साइड की जेब से दो अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व रंग लाल एक नम्बर के जिनकी पैंदी पर EXPRESS12BasQ–12 लिखा है व दूसरे पर 12 Lakshya12INDIA लिखा है , बरामद हुए। अभियुक्तों से तमन्चा व कारतूस रखने का लाईसेन्स तलब किया तो नहीं दिखा सके। अभियुक्तों को लूट की याजना बनाने व तमन्चा कारतूस रखने के जुर्म धारा 398, 401 भा0 दं0 सं0 व 25 आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद तमंचा व कारतूसों को अलग अलग सफेद कपड़े में रखकर सीलकर सर्वेमोहर किया गया। नमूना मोहर बनाये गये। बरामदगी दौरान जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो नावक्त होने व बुराई–भलाई की वजह से कोई गवाह गवाही को तैयार नहीं हुआ। दौराने गिरफतारी मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायलाय के आदेश–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। फर्द बरामदगी उ0 नि0 ने खुद बोल बोल कर कां0 एसासुल हसन जैदी से टॉर्च की रोशनी में लिखाकर फर्द को पढ़कर सुनाकर गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये। अभियुक्तों की गिरफतारी की सूचना थाने पर पहुंच कर, इनके परिजनों को दी जायेगी।

इस लिखित सूचना पर थाना धनौरा मण्डी में दिनांक 30.03.2012 को 22.30 बजे मुकदमा अपराध सं० 99/2012 अंतर्गत धारा 398, 401 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण ऋषिपाल व महेश के विरुद्ध व मुकदमा अपराध सं०–100/2012 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त ऋषिपाल के विरुद्ध एवं मुकदमा अपराध सं०– 101/2012 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त महेश के विरुद्ध दर्ज किया गया। मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण ऋषिपाल व महेश के विरुद्ध अपराध सं0 99/2012 में धारा 398 व 401 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–39/2012 दिनांकित 31.03.2012 तैयार करते हुए विवेचना पूरी की गयी। इस आरोपपत्र पर दिनांक 24.07.2012 को अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त महेश के विरूद्ध अपराध सं0 101/2012 में धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र अलग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 24.07.2012 को ही न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। दिनांक 20.12.2012 को अभियुक्तगण ऋषिपाल व महेश के विरुद्ध धारा 398 व 401 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों का खण्डन किया और विचारण की मांग की। **अभियुक्त ऋषिपाल की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक 16.04.2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऋषिपाल की पत्रावली इस पत्रावली से पृथक की गयी।** अभियोजन का साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्त

महेश की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 व दिनांक 02.07.2026 को अतिरिक्त 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित की गयी। अभियुक्त ने घटना का खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

3. **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं</u>–**

क. मौखिक साक्ष्य

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रकृति
1.	पी.डब्लू. 1	सेवानिवृत्त उ0 नि0 रमेशचन्द्र	वादी मुकदमा
2.	पी.डब्लू. 2	एच.सी.पी. एसासुल हसन जैदी	मौके का गवाह
3.	पी.डब्लू. 3	सेवानिवृत्त एच.सी.पी. ऋषिपाल सिंह	प्र0 सू0 रि0 लेखक
4.	पी.डब्लू. 4	एस.पी. सर्वानन्द सिंह यादव	विवेचक उ0 नि0 रामपाल सिंह के द्वारा की गयी विवेचना के प्रपत्रों को साबित करने वाला साक्षी
5.	पी.डब्लू. 5	सेवानिवृत्त एच.सी.पी. फूल सिंह	मौके का गवाह
6.	पी.डब्लू. 6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजपाल सिंह	आयुध अधिनियम के अभियोग चलाये जाने की अनुमति के प्रपत्रों को साबित करने वाला साक्षी
7.	पी.डब्लू. 7	प्रमुख सचिव रंजन कुमार (तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा)	अभियुक्त महेश के विरूद्ध आयुध अधिनियम का अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान करने वाला साक्षी

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभिलेखीय प्रपत्र
1.	प्रदर्श क–1	फर्द
2.	प्रदर्श क–2	प्र0 सू0 रि0
3.	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र
4.	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी
5.	प्रदर्श क–5	आयुध अधिनियम के अभियोग चलाने की अनुमति
6.	वस्तु प्रदर्श–4	बरामद तमंचा
7.	वस्तु प्रदर्श–5	बरामद कारतूस
8.	वस्तु प्रदर्श–6	बरामद कारतूस

4. <u>अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं</u>–

साक्षी पी0 डब्लू0–1 सेवानिवृत्त उ0नि0 रमेश चन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 04.03.2016 में यह कथन किया है कि दिनांक 30.03.2012 को मैं थाना धनौरा में उ.नि. के पद पर तैनात था। उस दिन मैं कां0 एसासुल हसन व कां0 फूल सिंह को हमराह लेकर 18.10 बजे पर थाने से रवाना होकर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में कस्बा धनौरा में गस्त कर रहे थे कि जब हरदेव बाजार से कंजरो वाली चुंगी पर पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि कंचन बाजार कब्रिस्तान में कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं और उन पर नाजायज अस्लाह भी है, जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। हम पुलिसवालों ने आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजयज वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर कंजरो वाली चुंगी से सुभाष नगर की तरफ को जाने वाले रास्ते पर दाहिनी ओर बनी नाई की दुकान की दीवार की आड़ से मुखबिर ने इशारा करके बताया कि दुकान के पीछे कब्रिस्तान में जो व्यक्ति बैंठे हैं, वहीं बदमाश है। बताकर चला गया। हमने दुकान की आड़ से देखा व सुना तो इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि समय काफी हो गया है। अब उस्ताद नहीं आयेंगे और रोड़ चलना भी बंद हो जायेगी, लूट के लिए हम दोनों ही काफी है। हमें पूरा यकीन हो गया कि यह बदमाश लूट करने के इरादे से इक्ट्ठा हैं। एकदम दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 20.45 बजे कब्रिस्तान में दोनों व्यक्तियो को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम ऋषिपाल पुत्र स्व. मुखराम सिंह , निवासी मौहल्ला सुभाष नगर, थाना मण्डी धनौरा, जिला जे.पी.नगर बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैंट से घुरसा हुआ एक अदद तमंचा देसी 12 बोर व पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम महेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम झुनपुर थाना धनौरा जिला जे.पी.नगर बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैट से एक तमंचा देसी 12 बोर व दाहिनी साइड की जेब से दो अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुए। बरामद माल को कब्जे पुलिस में लेकर कारण गिरफतारी बताते हुए हिरासत में लिया गया। दोनों तमंचा व कारतूसों को अलग अलग मुल्जिमानवार एक कपड़े में रखकर सर्वेमोहर किया गया। नमूना मोहर बनाये। फर्द मौके पर ही मेरे द्वारा बोल बोल कर कां0 एसासुल हसन से तैयार करायी। पढ़कर सुनाकर हमराहियान के हस्ताक्षर कराये। फर्द की नकल देकर ऋषिपाल व महेश के हस्ताक्षर कराये। माल मुल्जिम को लेकर थाना दाखिल किया। मुकदमा पंजीकृत कराया। माल मुकदमा आज मेरे सामने है। पहला सील्ड बन्डल खोलने पर गवाह ने देखकर कहा कि यह तमंचा व कारतूस अभियुक्त ऋषिपाल से बरामद हुए थे। तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–1 तथा कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श–2 व 3 डाला गया। दूसरा सील्ड बन्डल खोलने पर गवाह ने बताया कि यह तमंचा व दो कारतूस

अभियुक्त महेश से बरामद हुए थे। तमंचे पर वस्तु प्रदर्श –4 व कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श–5 व 6 डाला गया।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 एच.सी.पी.188 एसासुल हसन जैदी ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 06.09.2017 में कथन किया है कि दिनांक 30.03.2012 को मैं थाना धनौरा में सिपाही के पद पर तैनात था। उस दिन उ.नि. रमेश चन्द्र व कां0 फूल सिंह के हमराह 18.10 बजे पर थाने से रवाना होकर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में कस्बा धनौरा में गस्त कर रहे थे कि जब हम पुलिसकर्मी गस्त करते हुए कंचन बाजार में पहुंचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो बदमाश कंचन बाजार कब्रिस्तान में लूट की योजना बना रहे हैं और उन पर नाजायज अस्लाह भी है। इस सूचना पर मैं , उ0 नि0 रमेश चन्द्र व कां0 फूल सिंह के साथ मय मुखबिर के मौके पर कोई जनता का गवाह न मिलने पर एक–दूसरे की जामातलाशी लेकर , कोई आपत्तिजनक वस्तु न होने पर कंचन बाजार कब्रिस्तान पर नाई की दुकान की दीवार की आड़ में पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह दो बदमाश बैठे हैं। बताकर चला गया। हमने देखा व सुना , दोनों बदमाश आपस में बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे कि अब समय काफी हो गया है। अब उस्ताद नहीं आयेंगे और रास्ता भी रूकने वाला है। लूट के लिए हम दोनों ही काफी है। इस बात पर विश्वास करके हम पुलिसकर्मियों द्वारा कि यह बदमाश हैं , दबिश देकर दोनों को समय करीब 8.45 बजे गिरफतार कर लिया। इनकी जामा तलाशी लेते हुए इनके नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम ऋषिपाल पुत्र स्व. मुखराम सिंह , निवासी मौहल्ला सुभाष नगर, धनौरा बताया , जिसके कब्जे से एक अदद 12 बोर तमंचा , दो कारतूस बरामद हुए , जिनका हुलिया फर्द मुताबिक है। दूसरे ने अपना नाम महेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम झुनपुर थाना धनौरा जिला अमरोहा बताया इसके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस हुलिय मुताबिक फर्द बरामद हुए। दोनों अभियुक्त गलती मानने लगे, कहने लगे कि अब छोड़ दो आईन्दा कोई गलती नहीं करेंगे। इस घटना की फर्द मौके पर एस.आई. रमेशचन्द्र द्वारा बोलकर मुझ एचसीपी द्वारा मुरत्तव करायी थी। बरामद माल को मौके पर ही सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर हमराहीगण व अभियुक्तगण के भई हस्ताक्षर बनवाये गये थे। असल फर्द बरामदगी पत्रावली पर है। गवाह को फर्द दिखायी गयी। गवाह ने कहा कि यही फर्द मैंने मौके पर टार्च की रोशनी में एस.आई. रमेशचन्द्र के बोलने पर लिखी है। इस पर बतौर गवाह मेरे भी हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। बरामद माल व मुल्जिान को लेकर थाना मण्डी धनौरा गये थे। माल मुल्जिमान को थाने में दाखिल करके एस.आई. रमेशचन्द्र ने थाने पर मुकदमा कायम कराया था। फर्द थाने में दाखिल की गयी थी। अभियुक्तगण से बरामद तमंचे व कारतूसों पर पूर्व में ही वस्तु प्रदर्श डाले जा चुके है व न्यायालय में पेश हो चुका है।

साक्षी पी0 डब्लू0–3 रिटायर्ड एच.सी.पी ऋषिपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 21.08.2025 में कथन किया है कि दिनांक 30.03.2012 को मैं थाना मण्डी धनौरा में सीसी के

पद पर तैनात था। उसी दिन उ.नि. रमेशचन्द्र द्वारा बास्ते गश्त व शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान अभियुक्तगण ऋषिपाल व महेश को माल मुकदमें के साथ गिरफ्तार कर वादी उ.नि. रमेशचन्द्र द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर की नकल शब्द शब्द मेरे द्वारा अ. सं. 99/2012 धारा 398, 401 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम महेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी जो कि मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, पहचानता हूं, साबित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान अंकित किये थे।

साक्षी पी0 डब्लू0–4 एस.पी. सर्वानन्द सिंह यादव (आई.पी.एस.) ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 08.10.2025 में कथन किया है कि दिनांक 30.03.2012 को क्षेत्राधिकारी धनौरा के पद पर तैनात था। उसी समय दिनांक 30.03.2012 को समय करीब 20.45 पी.एम. पर अपराध संख्या 99/2012 अन्तर्गत धारा 398, 401 भारतीय दण्ड संहिता अपराध संख्या 100/2012 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम ऋषिपाल व अपराध संख्या 100/2012 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम महेश थाना मण्डी धनौरा पर एफ.आई.आर पंजीकृत हुई, जिसके वादी एस.आई. श्री रमेशचन्द्र थे तथा जिसकी विवेचना एस.आई. श्री रामपाल सिंह द्वारा की गई थी। एस.आई. रामपाल सिंह मेरे साथ थाना मण्डी धनौरा में रहे थे। मैंने उनकों लिखते पढ़ते देखा है, मैं उनके हस्तलेख में पहचानता हूं। उपरोक्त मुकदमा से संबंधित केस डायरी का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। केस डायरी विवेचक रामपाल सिंह के हस्तलेख में है, पहचानता हू, जो पत्रावली पर मौजूद है, उस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक रामपाल सिंह द्वारा अभियुक्त ऋषिपाल व महेश के विरूद्ध आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र विवेचक रामपाल सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर है, पहचानता हूं, साबित करता हू, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया। उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 99/2012 की घटनास्थल का नक्शा नजरी एस.आई. रामपाल सिंह द्वारा तैयार किया गया था। जो पत्रावली पर मौजूद है, एस.आई. रामपाल सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। पहचानता हूं, साबित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क – 4 डाला गया।

साक्षी पी0 डब्लू0–5 रिटायर्ड एचसीपी फूल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 17.11.2025 में कथन किया है कि मैं दिनांक 30/3/2012 को थाना धनौरा में बतौर का० तैनात था। उस दिन समय करीब शाम के 6.10 बजे थाने से एस ० आई० रमेश चन्द्र, का० ऐसासुर हसन के साथ कस्बा धनौरा में शान्ति व्यवस्था व डयूटी गस्त में गया था। जब हम सभी पुलिसकर्मी गस्त करते हुए कंचन बजार धनौरा में पहुंचे तो मुखवीर से सुचना मिली की 2 बदमाश कंचन बजार कबरीस्तान में लूट की योजना बना रहा है, और उन पर नाजायज असले भी है, इस सूचना पर एस ० आई ० रमेश चन्द्र, का० ऐसासुर हसन जैदी के साथ मय मुखवीर के साथ मौके पर पहुंचे और जनता का गवाह बनाने का प्रयास किया, कोई नही मिला तो एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर संतुष्टि की कि किसी पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नही है, इस पर विश्वास कर

कंचन बाजार धनौरा कबरीस्तान पर नाई की दुकान के पास, दिवार की आड पर पहुंचकर मुखवीर बदमाशो की तरफ इशारा कर और बताकर चला गया। हम पुलिस वालो ने देखा और सुना की 2 बदमाश आपस में बातचीत कर रहे है और कर रहे थे कि काफी समय हो गया है, उस्दात नही आयेंगे, रास्ते पर आवागमन कम बंद होने वाला है, लूट करने के लिए हम दोनो ही काफी है। इस बात पर हम पुलिस टीम को विश्वाश हो गया की यह दोनो बदमाश है और लूट की योजना बना रहे है। तभी समय करीब रात के 8.45 बजे दबिश देकर दोनो बदमाशो को कबरीस्तान में पकड लिया। नाम पता पुछते हुए दोनो बदमाशो की जामातलाशी ली तो एक ने अपना नाम ऋषिपाल पुत्र मुखराम पता मौ० सुभाष नगर थाना धनौरा बताया। उसकी पैन्ट की दाहीनी फेट से एक तमन्चा, 12 बोर देशी नाजायज, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है व पेन्ट की दाहीनी जैब से 2 जिन्दा कारतूस बारह बोर बरामद हुऐ। दूसरे पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम महेश पुत्र ओमप्रकाश, ग्राम झुंडपुरा थाना धनौरा बताया इसकी जामा तलाशी लेने पर उसकी पेन्ट की दाहीनी फैट से एक तमन्चा 12 बोर व पेन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है। बरामद माल को पुलिस कबजे में लेकर अभियुक्तगण को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए, हिरासत में लिया गया व दोनो तमन्चे व कारतूसों को अलग–अलग मुल्जिमवार एक कपडे में रख कर सिल कर सीील सर्वे नमुना महोर किया गया। फर्द मोके पर एस० आई० रमेश चन्द्र द्वारा बोल बोल कर का० ऐसासुर हसन जैदी से तैयार कराई गई। जो अभियुक्तगण को भी पढ़कर सुनाई गयी, फर्द की एक नकल अभियुक्तगण को दी गई जिसपर ऋषिपाल व महेश के हस्ताक्षर कराये गये। माल व मुल्जिमान को लेकर थाने पर दाखिल किया गया था। मुकदमा दर्ज कराया गया। फर्द मौके पर तैयार करी गयी। फर्द पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है। जिसे मे पहचानता हूं जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जिस पर पर पूर्व में ही प्रदर्श डाला जा चुका है। अभियुक्तगण से बरामद अवैध तमन्चे की अभियोग चलाये जाने की अनुमति इस मुकदमें के विवेचक रामपाल सिंह द्वारा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा से दिनांक 1/06/12 को ली गयी थी। अनुमति पत्र पत्रावली पर मौजूद है, जब विवेचक रामपाल सिंह द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट महोदय अमरोहा से लि गयी थी, उस समय में रामपाल सिंह के साथ मौजूद था। विवेचक ने मेरे बयान अंकित किये थे।

साक्षी पी0 डब्लू0–6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 06.03.2026 में कथन किया है कि मै आज अपने कार्यालय से 25 शस्त्र अधिनियम की अनुमति विषयक रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 319/2012 पर संलग्न कागज संख्या 6 क आयुध अधिनियम की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रंजन कुमार द्वारा प्रदान की गयी अनुमति हमारे कार्यालय के रजिस्टर मे कार्यालय पत्रांक संख्या 48 दिनांकित 01/06/2012 पर संलग्न है। जिसकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ भी मैं साथ लेकर आया हूँ जिन्हे मै पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूँ। न्यायालय की पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 319/2012 पर संलग्न कागज संख्या 6 क को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आयुध

अधिनियम के अभियोग चलाने के संबंध मे अनुमति है जिसका रिकॉर्ड मेरे साथ लाये रिकॉर्ड पर अंकित है पहचानता हूँ साबित करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

साक्षी पी0 डब्लू0–7 रंजन कुमार (प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन) ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 11.06.2026 में कथन किया है कि दिनांक 01/06/2012 को मैं बतौर जिला मजिस्ट्रेट तत्कालीन जनपद जे० पी० नगर वर्तमान अमरोहा तैनात था। इस दिन मेरे पास थाना मण्डी धनौरा की मु0 अ 0 सं0 101/2012 के विवेचक उक्त अभियोग से संबंधित प्रपत्र व वाद सम्पत्ति (बरामद माल मुकदमा) लेकर उपस्थित आये थे। माल मुकदमा को नमूना मोहर से हैडआरमोर्र की उपस्थिति में माल मुकदमा के बंडल पर लगी सील का मिलान कर सर्वमोहर बंडल मेरे द्वारा खुलवाया गया तथा मेरे सामने हैडआरममोर्र द्वारा उस बंडल मे से निकले देशी तमंचे का निरीक्षण करने के उपरान्त मुझे बताया गया कि उक्त शस्त्र चालू हालत मे है व दो अदद जिंदा कारतूस भी बंडल मे मौजूद है। मैने भी देशी तमंचे 12 बोर व दो 12 बोर जिंदा कारतूसो को देखा तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया। अवलोकन करने के उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक 01/06/2012 को ही अभियुक्त महेश के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के अभियोग को चलाने की अनुमति दी गयी थी तथा पुनः उपरोक्त माल मुकदमा को मेरे सामने ही सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया था। पत्रावली पर मौजूद शस्त्र अधिनियम की अनुमति को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही अनुमति है जो मेरे द्वारा दी गयी थी इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ। इस पर पूर्व से ही प्रदर्श क–5 पड़ा है।

5. <u>बहस/अधिवक्ताओं के तर्क–</u>

बहस का आरम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्तों को मौके से गिरफतार करने वाले साक्षी तत्कालीन उ 0 नि0 रमेश चन्द्र ने पी0 डब्लू0 01 के रूप में यह साबित किया है कि मौके से दो अभियुक्त घातक हथियारों के साथ गिरफतार किये गये थे। दोनों अभियुक्त चोरी और लूट की योजना बना रहे थे। फर्द के साक्षी पी0 डब्लू0 02 हैड कां0 एसासुल हसन जैदी एवं पी0 डब्लू0 05 फूल सिंह ने अपने साक्ष्य से घातक हथियारों के साथ अभियुक्तगण के द्वारा लूट की योजना बनाने के दौरान अभियुक्त की गिरफतारी को समर्थित किया है। विवेचक ने छानबीन के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। यह भी साबित है कि अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए है। अवैध हथियारों के लिए जिलाधिकारी से ली गयी अभियोजन स्वीकृति को पी0 डब्लू0 06 राजपाल पाल सिंह ने अपने साक्ष्य से साबित किया है तथा तत्कालीन जिलाधिकारी पी0 डब्लू0 07 रंजन कुमार ने अपने बयानों में यह बताया है कि उन्होंने ही अभियुक्त महेश के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान की थी। इस प्रकार अभियोजन के साक्षियों ने अभियोजन के आरोप को साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित है और अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वादी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त से सब्बल , बीड़ी , माचिस , रूपया , पैसा , रस्सी व टॉर्च बरामद नहीं हुआ। फर्द के साक्षी पी0 डब्लू0 2 के द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि थाने से घटनास्थल तक दुकाने हैं। कंचन बाजार रिहायशी इलाका है। कोई गवाह फराहम नहीं हो सका । विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी का अधीनस्थ है , इसलिए उसने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति का अधिकारी है।

6. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित है अथवा नासाबित , इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय हैं–

1. **क्या अभियुक्त लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय गिरफतार हुआ था ?**
2. **क्या अभियुक्त ऐसी टोली के साथ था , जो अभ्यस्त रूप से चोरी या लूट करती है ?**
3. **क्या अभियुक से अवैध हथियार बरामद हुआ ?**

उक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

<u>1. क्या अभियुक्त लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय गिरफतार हुआ था ?</u>

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 398 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप तय किया गया है। धारा 398 भा0 दं0 सं0 यह कहती है कि यदि लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह धारा 398 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत ऐसे दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो सात वर्ष से कम नहीं होगा।

अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज हुयी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो पी0 डब्लू0 01 रमेश चन्द्र द्वारा लिखायी गयी थी , के अनुसार पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि कंचन बाजार कब्रिस्तान में कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। दबिश देने पर दो व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गये अभियुक्त ऋषिपाल से एक तमंचा 12 बोर व दो कारतूस जिंदा 12 बोर बरामद हुए तथा दूसरे अभियुक्त महेश से भी एक तमंचा 12 बोर व 2 कारतूस जिंदा बरामद हुए। वादी मुकदमा पी0 डब्लू0 01 और मौके पर मौजूद दिखाये गये फर्द के साक्षी पी0 डब्लू0 02 व पी0 डब्लू0 05 के द्वारा भी उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही समर्थित किया है।

मौके पर पहुंचे साक्षी पी0 डब्लू0 01 के द्वारा यह कहा गया है कि उसने दुकान की आड़ से अभियुक्त को सुना। अभियुक्तों में से एक यह कह रहा था कि उस्ताद नहीं आयेंगे। लूट के लिए हम दोनों ही काफी हैं। यह सुनकर साक्षी को विश्वास हो गया कि यह बदमाश लूट के इरादे से इकटठा हुए हैं और उसने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ दबिश देकर कब्रिस्तान में दोनों

अभियुक्तों को पकड़ लिया। एक ने अपना नाम ऋषिपाल और दूसरे ने अपना नाम महेश बताया। इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि अभियुक्तों से सब्बल , बीड़ी , माचिस , रूपया , पैसा , रस्सी व टॉर्च कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। नक्शा नजरी के अनुसार डामर की सड़क के किनारे स्थित दुकान के पीछे कब्रिस्तान है। पुलिसकर्मी डामर की सड़क से होते हुए पैदल गश्त करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे। कुल 03 पुलिस वाले थे और उनके साथ एक मुखबिर था। चार व्यक्ति पैदल चलते हुए डामर की सड़क से होते हुए सड़क के किनारे स्थित दुकान तक पहुंचते हैं और रात के अंधेरे में मार्च के महीने में लगभग 9–10 बजे के बीच , जबकि अभियोजन साक्षियों के ही अनुसार रास्ता चलने से लगभग बंद हो चुका था। अभियुक्तें से पांच कदम की दूरी पर , जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है , दुकान के सहारे खड़े हो जाते हैं और अभियुक्तगण को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है , बल्कि अभियुक्तगण इतनी तेजी से बोलते हुए लूट की योजना की आपस में चर्चा करते हैं कि वह पांच कदम की दूरी खड़े हुए पुलिसकर्मियों को ही सुनायी दे जाये। विशेष बात यह है कि साक्षी पी0 डब्लू0 02 का यह कहना है कि कब्रिस्तान की बाउण्ड्री भी बनी हुयी है , जो लगभग दो से ढाई से तीन मीटर ऊची हैं अर्थात 8–9 फीट की ऊची दीवार के पीछे खड़े हुए पुलिस वाले दीवार की दूसरी बैठे हुए अभियुक्तों की योजना को सुनते हैं और उसके उपरान्त दीवार पर चढ़कर अभियुक्तों को पकड़ने के लिए भागते हैं , परन्तु अभियुक्त बचकर नहीं भागते हैं , आसानी से पकड़ में आ जाते हैं , यह तथ्य भी संदेह उत्पन्न कर रहा है। पुलिस के द्वारा अभियुक्तों कोई योजना बनाते सुना गया , यह कथानक व्यावहारिक दृष्टिकोण से संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है , इसकी पुष्टि आवश्यक है। अभियुक्तगण के कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया , परन्तु अभियुक्तों ने कोई फायरिंग नहीं की , न ही भागने का प्रयास किया , यह परिस्थिति भी संदेह उत्पन्न कर रही है। साक्षी पी0 डब्लू0 02 का अपनी जिरह में यह कहना है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि रवानगी के समय वे लोग शस्त्र लेकर चले थे या नहीं। गवाह ने यह भी कहा है कि उसने दरोगाजी की तलाशी ली थी। कोई नाजायज शस्त्र नहीं मिला था , परन्तु जायज शस्त्र था या नहीं उसे ध्यान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह तर्क उचित प्रतीत हो रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों को यह भी ध्यान नहीं है कि वे घटना के दिन सरकारी अस्लाह लेकर चले थे या नहीं और तलाशी में दरोगाजी के पास सरकारी अस्लाह था अथवा नहीं , वह मौके की अन्य बातों को कैसे ध्यान में रख सकते हैं।

धारा 398 भा0 दं0 सं0 लूट या डकैती के प्रयत्न को दण्डनीय बनाती है। इस प्रस्तुत मामले में अभियोजन का कुल साक्ष्य यह है कि उसके द्वारा दो अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए सुना गया। अभियोजन के किसी भी गवाह ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्तगण लूट का प्रयत्न कर रहे थे , न ही ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान है , जो लूट के प्रयत्न को दर्शा रही हो। अभियुक्तगण लूट की योजना बना रहे थे , यह आरोप भी संदेहों से घिरा हुआ है , परन्तु यदि मान भी लिया जाये कि लूट की योजना पर अभियुक्तगण चर्चा कर रहे थे , तब भी इसे तैयारी

से लिप्त नहीं माना जा सकता , जबकि धारा 398 भा0 दं0 सं0 के लिए तैयार से अगला हिस्सा प्रयत्न दण्डनीय है। अतः **धारा 398 भा0 दं0 सं0 का आरोप साबित नहीं है।**

2. क्या अभियुक्त ऐसी टोली के साथ था , जो अभ्यस्त रूप से चोरी या लूट करती है ?

अभियुक्त के विरूद्ध दूसरा आरोप धारा 401 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत लगाया गया है। धारा 401 भा0 दं0 सं0 के अनुसार यदि अभियुक्त किसी ऐसी घूमती–फिरती टोली या व्यक्तियों जो अभ्यस्त रूप से चोरी या लूट के प्रयोजन से सहयुक्त रहते हैं , के साथ सदस्य के रूप में पाया जायेगा , वह सात वर्ष तक के कठोर कारावास से और जुर्माने से इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।

अभियोजन के तीनों साक्षी पी0 डब्लू0 01 और पी0 डब्लू0 02 एवं पी0 डब्लू0 05 के द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त प्रकार की किसी टोली के सदस्य थे।

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास आरोप पत्र के साथ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जो यह बताता हो कि अभियुक्त अभ्यस्त चोरों के साथ सहयुक्त रहते हैं। अतः **धारा 401 भा0 दं0 सं0 का आरोप भी साबित नहीं है।**

3. क्या अभियुक से अवैध हथियार बरामद हुआ ?

अभियुक्त को मौके से गिरफतार करने वाले साक्षी वादी मुकदमा पी0 डब्लू0–01 उ 0 नि0 रमेश चन्द्र का बयान है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कंचन बाजार कब्रिस्तान में कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं और उन पर नाजायज अस्लाह भी है, जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके एकदम दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 20.45 बजे कब्रिस्तान में दो व्यक्तियो को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम ऋषिपाल बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैंट से घुरसा हुआ एक अदद तमंचा देसी 12 बोर व पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम **महेश** बताया, जिसकी पहनी पैंट की दाहिनी फैट से एक तमंचा देसी 12 बोर व दाहिनी साइड की जेब से दो अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुए।

मौके के गवाह पी0 डब्लू0 02 एसासुल हसन जैदी ने उक्त साक्षी पी0 डब्लू0 01 के बयानों को समर्थित करते हुए बयान दिया है कि दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम महेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम झुनपुर थाना धनौरा जिला अमरोहा बताया इसके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए। दोनों अभियुक्त गलती मानने लगे, कहने लगे कि अब छोड़ दो आईन्दा कोई गलती नहीं करेंगे।

मौके के गवाह पी0 डब्लू0 05 फूल सिंह ने उक्त साक्षी पी0 डब्लू0 01 व 02 के बयानों को समर्थित करते हुए बयान दिया है कि समय करीब रात के 8.45 बजे दबिश देकर दोनो बदमाशो को कबरीस्तान में पकड लिया। नाम पता पुछते हुए दोनो बदमाशो की जामातलाशी ली तो एक ने अपना नाम ऋषिपाल बताया। उसकी पैन्ट की दाहीनी फेट से एक तमन्चा, 12 बोर देशी नाजायज, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है व पेन्ट की दाहीनी जैब से 2 जिन्दा कारतूस बारह बोर बरामद हुऐ। दूसरे पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम **महेश** पुत्र ओमप्रकाश, ग्राम झुंडपुरा थाना धनौरा बताया इसकी जामा तलाशी लेने पर उसकी पेन्ट की दाहीनी फैट से एक तमन्चा 12 बोर व पेन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है। बरामद माल को पुलिस कबजे में लेकर अभियुक्तगण को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए, हिरासत में लिया गया व दोनो तमन्चे व कारतूसों को अलग–अलग मुल्जिमवार एक कपडे में रख कर सिल कर सील सर्वे नमुना महोर किया गया।

एफ.आई.आर. लेखक साक्षी पी0 डब्लू0–03 हे0 कां0 ऋषिपाल सिंह का बयान है कि उ.नि. रमेशचन्द्र द्वारा बास्ते गश्त व शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान अभियुक्तगण ऋषिपाल व महेश को माल मुकदमें के साथ गिरफ्तार कर वादी उ.नि. रमेशचन्द्र द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर की नकल शब्द शब्द मेरे द्वारा अ. सं. 99/2012 धारा 398, 401 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम महेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी ।

साक्षी पी0 डब्लू0–6 राजपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 319/2012 पर संलग्न कागज संख्या 6 क आयुध अधिनियम की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रंजन कुमार द्वारा प्रदान की गयी अनुमति उनके कार्यालय के रजिस्टर मे कार्यालय पत्रांक संख्या 48 दिनांकित 01/06/2012 पर संलग्न है। जिसकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ भी मैं साथ लेकर आया है जिन्हे वह पत्रावली पर दाखिल कर रहा है। न्यायालय की पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 319/2012 पर संलग्न कागज संख्या 6 क को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आयुध अधिनियम के अभियोग चलाने के संबंध मे अनुमति है जिसका रिकॉर्ड उसके साथ लाये रिकॉर्ड पर अंकित है पहचानता है साबित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

साक्षी पी0 डब्लू0–7 रंजन कुमार (प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01/06/2012 को वह बतौर जिला मजिस्ट्रेट तत्कालीन जनपद जे० पी० नगर वर्तमान अमरोहा तैनात था। इस दिन उनके पास थाना मण्डी धनौरा की मु0 अ0 सं0 101/2012 के विवेचक उक्त अभियोग से संबंधित प्रपत्र व वाद सम्पत्ति (बरामद माल मुकदमा) लेकर उपस्थित आये थे। माल मुकदमा को नमूना मोहर से हैडआरमोर्र की उपस्थिति में माल मुकदमा के बंडल पर लगी सील का मिलान कर सर्वमोहर बंडल उनके द्वारा खुलवाया गया तथा उनके सामने हैडआरममोर्र द्वारा उस बंडल मे से निकले देशी तमंचे का निरीक्षण करने के उपरान्त उन्हें बताया गया कि उक्त शस्त्र चालू हालत मे है व दो अदद जिंदा कारतूस भी बंडल मे मौजूद है। उन्होंने भी देशी तमंचे 12 बोर व दो 12 बोर जिंदा कारतूसो को

देखा तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया। अवलोकन करने के उपरान्त उसके द्वारा दिनांक 01/06/2012 को ही अभियुक्त महेश के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के अभियोग को चलाने की अनुमति दी गयी थी तथा पुनः उपरोक्त माल मुकदमा को उनके सामने ही सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया था। पत्रावली पर मौजूद शस्त्र अधिनियम की अनुमति को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही अनुमति है जो उनके द्वारा दी गयी थी इस पर उसके हस्ताक्षर बने है पहचानता है, साबित करता है, इस पर पूर्व से ही प्रदर्श क–5 पड़ा है।

निष्कर्ष यह है **अभियोजन का मामला अवैध हथियार की बरामदगी के लिए अभियुक्त के विरूद्ध साबित है।**

7. <u>अंतिम निष्कर्ष</u>–

अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 398 व 401 भा0 दं0 सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जा रहा है।

अभियुक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जा रहा है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड पर सुनवायी के लिए पत्रावली अपराहन में प्रस्तुत की जाये।

दिनांक– 21.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा

8. दण्ड पर सुनवाई–

पत्रावली अपराह्न में प्रस्तुत हुई। दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रथम अपराध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर परिवार की जिम्मेदारी है , अकेला कमाने वाला है , इसलिए कम से कम दण्ड दिया जाये। आर्थिक स्थिति कमजोर है , इसलिए कम से कम अर्थदण्ड दिया जाये और यदि सम्भव हो तो परिवीक्षा का लाभ दिया जाये।

अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुए ए.डी.जी.सी. द्वारा कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा अवैध हथियार को रखने का अपराध सीधे समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है , इसलिए कठोर दण्ड देना आवश्यक है।

अपराध की प्रकृति के कारण परिवीक्षा का लाभ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अवैध हथियार लेकर विचरण करना समाज को प्रभावित करने वाला और आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहित करने वाला अपराध है। ऐसे अपराधियों को दण्ड देकर ऐसे कृत्यों को पुनरावृत्ति रोकने और दण्ड से भयभीत कर अपराध छोड़कर पुनः समाज की मुख्य्य धारा में आने के लिए दण्ड दिया जाना आवश्यक है। अपराध सीधे पूरे समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है।

अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी के लिए 03 माह का कारावास तथा 500/– रूपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिए 01 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया जाना उचित पाया जा रहा है।

सत्र परीक्षण सं0–317 व 319 सन 2012

आदेश

अभियुक्त **महेश** को **सत्र परीक्षण संख्या 317/2012 (मुकदमा अपराध संख्या 99/2012**) में आरोप अंतर्गत **धारा 398, 401 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त **महेश** को **सत्र परीक्षण संख्या 319/2012 (मुकदमा अपराध संख्या 101/2012)** में आरोप आयुध अधिनियम की **धारा 25 खण्ड 1–बी** के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए **03 माह के कारावास एवं 500/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है।**

अर्थदण्ड अदा न करने पर **01 माह** कारावास अतिरिक्त होगा।

इसी अपराध के लिए पूर्व मे बितायी गयी अवधि दण्ड में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त के बन्ध पत्र और उनके जमानतियों के प्रतिभूपत्र दायित्वों से मुक्त किये जा रहे हैं।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक– 21.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित करके सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 21.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।